आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
07.07.2020	<u>न्यायालय जिला पदाधिकारी, पूर्णिया</u> **सेवा अपील वाद संख्या-69/2018** **1. जूली देवी, पिता-बिनोद बिहारी, पति-नीलानन्द महतो, सा0-ओरिया टोला, थाना-श्रीनगर, जिला-पूर्णिया।** **..... अपीलार्थी** **बनाम** **1. राजमणी कुमारी, पति-अरूण कुमार मेहता, सा0-ओरिया टोला, थाना-श्रीनगर, जिला-पूर्णिया।** **2. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया।** **3. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, के0 नगर।** **..... विपक्षीगण** **<u>आ दे श</u>** सुनवाई के पश्चात् दिनांक 06.12.2019 को आदेश हेतु इस अभिलेख को रखा गया था, परन्तु अपरिहार्य कारणवश आदेश पारित नहीं हो सका। प्रस्तुत अपील वाद **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया** के **ज्ञापांक-883/जि0प्रो0, दिनांक-25.06.2018** के विरूद्ध दायर किया गया है। यह मामला **आंगनबाड़ी केन्द्र सं0-104, पंचायत-खुट्टीधुनैली, परियोजना-श्रीनगर** के **सेविका** पद से संबंधित है। अपीलार्थी द्वारा समर्पित अपील आवेदन का अवलोकन किया। उनका मुख्य रूप से कथन है कि वे वर्ष 2010 में ही मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा दोवारा वर्ष 2017 में राजकीय मुक्त विद्यालय, शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से दसवीं की परीक्षा पास की है। निम्न न्यायालय द्वारा अंगनबाड़ी मार्गदर्शिका की कंडिका-04 का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा शिक्षक नियोजन हेतु मान्य शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थी को सेविका के पद पर चयन किया जाएगा। निम्न	

न्यायालय द्वारा राजकीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से दसवीं उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र को अमान्य बताकर मेरे दावे को अस्वीकृत किया गया है। जबकि आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका/सेविका/सहायिका /चयन मार्गदर्शिका संशोधित संस्करण 2017 में बिहार सरकार मानव संशाधन विकास विभाग के ज्ञापांक 3152 दिनांक 25.08.2008 में शिक्षक नियोजन हेतु अमान्य 28 शैक्षणिक संस्थानों की सूची निर्गत की गई है, जिसमें राजकीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ शामिल नहीं है। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी का दावा अस्वीकृत किया गया है, जबकि उक्त संस्थान अमान्य सूची में है ही नहीं। निम्न न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतएव अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए विपक्षी-01 के चयन को रद्द किया जाए।

विपक्षी सं0-01 से प्राप्त कारणपृच्छा का अवलोकन किया। उनका मुख्य रूप से कथन है कि दायर अपील कालबाधित है। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2011 में ही मैट्रिक पास किया गया है, जिसमें कम अंक रहने के कारण राजकीय मुक्त विद्यालय संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से अधिक अंक वाला दसवीं पास का फर्जी अंक प्रमाण-पत्र दाखिल कर चयन का दावा किया गया एवं उनका चयन भी किया गया। उक्त प्रमाण-पत्र अमान्य रहने के कारण निम्न न्यायालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। अतएव अनुरोध है कि अपील आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों द्वारा समर्पित कागजात्, उनके विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि मेधा सूची में अपीलार्थी प्रथम स्थान पर हैं। अपीलार्थी राजकीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से दसवीं उत्तीर्ण हैं। निम्न न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अपीलार्थी का प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है। इन्टरनेट पर राजकीय मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के संबंध में कई समाचार प्रकाशित है, जिसमें बताया गया कि उक्त संस्थान फर्जी है। निम्न न्यायालय द्वारा भी अपीलार्थी के प्रमाण-पत्र को अमान्य बताया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति **बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, श्रीनगर तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया** को भेजें।

इसी के साथ अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया।

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया।